न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 143/18

विनोद सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम खरौआ, हाल निवासी वार्ड नंबर 5 मौ रोड़ गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

—–आवेदक

विरूद

पुलिस थाना गोहद

----अनावेदक

जमानत आवेदन कमांक 145/18

सैनी उर्फ शुभम पुत्र महाराज सिंह जाटव आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16 गांधी नगर गोहद, तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

----आवेदक

विरूद्ध

पुलिस थाना गोहद

---अनावेदक

23-04-2018

आवेदक / अभियुक्त विनोद सिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक / अभियुक्त सैनी उर्फ शुभम सिंह की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 83/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 353, 332, 186 भा0दं०सं० की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 143/18 आवेदक विनोद सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 145/18 आवेदक सैनी उर्फ शुभम का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक / अभियुक्त विनोद सिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता तथा आवेदक / अभियुक्त सैनी उर्फ शुभम सिंह की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदकगण के प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 वं०प्र०सं० पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्तगण विनोद सिंह व सैनी उर्फ शुभम की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण का उक्त कथित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूंठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है तथा अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में सम्मानीय न्यायदृष्टांत बल्लू यादव उर्फ बलवीर सिंह यादव विरुद्ध म०प्र० राज्य 2014 (।) एमपीडब्लूएन 102 प्रस्तुत किये गये हैं।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उन्हें निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार आवेदक / अभियुक्तगण द्वारा अन्य 700—800 सहअभियुक्तगण के साथ लाठी, डण्डा व सरिया से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुये बलवा कारित किया गया है एवं पुलिस पार्टी पर पथराव कर शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तथा शासकीय कार्यों में बाधा डाली गई है तथा लोक सेवक नरेंद्र सिंह एवं आशीष शर्मा को भी चोटें पहुंचाई गई हैं।

उक्त घटना के संबंध में धारा 147, 148, 149, 336, 186, 353, 332 भा0दं०वि० के अंतर्गत थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामला विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले में अधिकांश अभियुक्तगण की गिरफतारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदक/अभियुक्तगण सहित 700–800 सहअभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं अस्रक्षा का वातावरण निर्मित होना एवं लोकशांति भंग होना तथा

अभियुक्तगण द्वारा लोक कर्तव्य का निर्वहन करते समय शासकीय सेवकों को उपहतियां कारित होना एवं शासकीय संपत्तियों को नष्ट किया जाना तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना बताया गया है, जो कि समाज में दहशतपूर्ण होकर अति गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत दोनों सम्मानीय न्यायदृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाने के कारण उनका कोई लाभ आवेदक पक्ष का नहीं दिया जा सकता है। 📈

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदकगण विनोद सिंह तथा सैनी उर्फ शुभम की ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद बापस की जावे।